न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—164/2015/223 (2015/00028)

1. गिरधारी पुत्र दल्ला,
2. भोमसिंह पुत्र दल्ला,
3. जेठा पुत्र दल्ला,
4. श्रीमती धापू पत्नि नंदा,

समस्त जाति रावत, नि0 ग्राम लाडपुरा (देवास) तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती स्वरूपी पत्नि दीपसिंह, जाति रावत, नि0 देदेपुरा रेल का बाडिया, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

वादिया/**रेस्पोडेंट**

2. हरलाल पुत्र भूरा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती गंगा पुत्री स्व0 हरलाल पत्नि जगदीश, जाति रावत, नि0 बिजयनगर रोड़, दादाबाड़ी के पास, रावत नगर, ब्यावर, जिला अजमेर।

प्रतिवादी सं0 1/ रेस्पोडेंट

3. गजराज सिंह पुत्र अन्ना, जाति रावत, निवासी ग्राम लाडपुरा (देवास), तह. मसूदा, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, मसूदा, हाल तहसील बिजयनगर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध संशोधित निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 18.8.2011 अंतर्गत वाद संख्या 46/2006.

उपस्थितः—

1. श्री सूरजसिंह चौहान, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2/1 .
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—24.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाडपुरा तहसील मसूदा के हाल खसरा नंबर 355/2 रकबा 5.7908 है0 किस्म बारानी 3 भूमि स्थित है जो संयुक्त खातेदार की होकर इसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 2/7 हिस्सा में से 6/7 हिस्सा यानि 12/49 हिस्सा अर्थात् 8 बीघा 10 बिस्वा 3 बिस्वांसी भूमि हरलाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.3.2005 को वादिया/रेस्पो0 संख्य 1 ने क्रय कर

कब्जा काश्त प्राप्त किया । उक्त भूमि वादिया के नाम रिकार्ड में दर्ज होने के उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश करने से क्रयशुदा भूमि की पत्थरगढ़ी कराने, अलग खातेदारी इंद्राज कराने, कब्जा दिलाने, अप्रार्थीगण को जबरन कब्जा करने से रोकन व बंटवारा बाबत् यह वाद पेश किया है जिसे स्वीकार किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादिया/रेस्पां0 संख्या 1 का वाद दिनांक 3.6.2010 को डिक्री करने के आदेश पारित किये । तत्पश्चात् वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम आदेश डिक्री दिनांक 3.6.2010 मे संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 152 जा0दी0 पेश किया जिसे विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 18.8.2011 को स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस संशोधित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को दिनांक 3.6.2010 के निर्णय व डिक्री के पश्चात् उक्त प्रकरण की कार्यवाही की किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी । अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.6.2010 को बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की थी जो विधिविरूद्ध है क्योंकि अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं आपत्तियों का निस्तारण किये बिना निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 को पारित की है । इसके उपरांत अधी0न्याया0 ने वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 व 152 जा0दी0 अपीलांट को सुने बिना स्वीकार कर संशोधित निर्णय व डिक्री पारित करने में भी विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 को निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने से पूर्व अपीलांट को सुना जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 का संशोधित निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 के पश्चात् की कार्यवाही की अपीलांट को किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी । दिनांक 6.5.2015 को वादिया वादग्रस्त आराजियात पर आयी और आते ही अपीलांट के घर आकर तथाकथित संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 की फोटो प्रति प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को दी तब जानकारी में आया कि उक्त प्रकरण में वादिया ने जानबूझकर अधी0न्याया0 को गुमराह करते हुए संशोधित निर्णय व डिक्री प्राप्त की है । तत्पश्चात् अपीलांट ने संशोधित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री में सहवन से यह अंकित कर दिया कि वादिया मौके पर कम रकबा होने के कारण आनुपातिक रूप से कम भूमि प्राप्त करने हेतु तैयार है जबकि वादिया द्वारा ऐसी कोई सहमति कभी नहीं दी गई थी न ही ऐसी कोई सहमति पत्रावली पर उपलबध है । वादिया ने 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि क्रय की थी जिसका कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 विधिसम्मत् है जिसमें किसी

हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणवगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नंबर 355/1 व 355/2 के बंटवारे पर सहमति अनुसार वादिया को 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि देने पर सहमत हुए जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 26.4.2007 को प्रारंभिक आदेश व डिक्री पारित की गई एवं तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट तलब की गई । प्रथम रिपोर्ट पर आपत्ति किये जाने पर दुबारा दिनांक 11.3.2010 को नायब तहसीलदार, मसूदा को कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट तलब की गई जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.4. 2010 को पक्षकारान की उपस्थिति में एवं मौका एवं रिकार्ड की स्थिति के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव कुरेजात रिपोर्ट भिजवाई गई जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षकारों को सुनकर हाल खसरा नंबर 355/1 रकबा 10–4–5, खसरा नंबर 355/2 रकबा 35–15–5 व 355/370 रकबा 2 बीघा का बंटवारा हेतु वादिया का वाद स्वीकार कर बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादिया को खसरा नंबर 355/399 रकबा 8–13–00 का एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 गिरधारी, भोमसिंह व जेठा को खसरा नंबर 355/397 रकबा 15–6–10 एवं 355/2 रकबा 2 बीघा एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरलाल को खसरा नंबर 355/398 रकबा 1–10–10 एवं 355/370 रकबा 2–0–00 एवं प्रतिवादी संख्या 5 धापू को खसरा नंबर 355/400 रकबा 8–5–0 एवं प्रतिवादी संख्या 6 गजराजसिंह को खसरा नंबर 355/1 रकबा 10–4–5 का खातेदार घोषित कर तरमीम के आदेश प्रदान किये जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1/वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादिया द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनाक 8.3.2005 को खसरा नंबर 355/2 की कुल भूमि में से 8–13–00 भूमि सहखातेदार हरलाल से क्रय कर ली है जो वादिया को दिलवाई जाकर उसका कब्जा भी वादिया को दिलवाया जावे । अधी0न्याया0 द्वारा वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेशित किया कि वादिया द्वारा वादपत्र अनुसार चाहा अनुतोष प्राथमिक डिक्री अनुसार प्राप्त नहीं हुआ एवं बंटवारा प्रस्ताव पर विधिक सहमति वादिया की नहीं है, पति संयुक्त खातेदार नहीं है एवं विक्रेता के नाम शेष भूमि और रहती है जिससे वादिया क्रयशुदा संपूर्ण भूमि प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है एवं अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है इस कारण पूर्व पारित डिक्री दिनांक 3.6.2010 में संशोधन करते हुए संशोधित डिक्री जारी कर वादिया द्वारा क्रयशुदा भूमि 8–13–00 बीघा का खातेदार घोषित कर दिया गया । इस संबंध में धारा 151 निम्नानुसार हैः– '' 151- Saving of inherent powers of Court.-Nothing inb this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Court to make such orders as may be necessary for the ends of justice, or to prevent abuse of the process of the Court ''

9. एवं धारा 152 जा0दी0 निम्नानुसार हैः– '' 152- Ammendment of judgments, decrees or orders.-Clerical or arithmetical mistakes in judgments, decrees or orders or errors arising therein from

any accidental slip or omission may any time be corrected by the Court either of its own motion or on the application of abny of the parties."

10. उपरोक्त धारा 151 जा0दी0 के अनुसार न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियां जब पक्षकारान को अन्य कोई विधिक उपचार या विकल्प उपलबध नही ंहो एवं न्याय का हनन हो रहा हो तो धारा 151 जा0दी0 की प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है । इस प्रकरण में वादिया का कथन रहा है कि खसरा नंबर 355/2 रकबा 8–13–00 भूमि दिनांक 8.3.2005 को हरलाल से क्रय की परन्तु पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6. 2010 में सम्मिलित नहीं की गई । इस संबंध में न्यायालय का मत है कि यदि वादिया पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 से रूष्ट थी तो उसे अधी0न्याया0 के समक्ष 229 राज0काश्त0अधि0 के तहत नजरसानी अथवा हाजा न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपील करने का विधिक उपचार उपलब्ध था । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा धारा 151 जा0दी0 की शक्तियों का उपयोग कर पूर्व पारित निर्णय व डिक्री को पूर्णतया संशोधित कर दिया जो कतई विधिसम्मत् नहीं मानी जा सकती है ।

11. इसी प्रकार धारा 152 जा0दी0 के अनुसार यदि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय अथवा आदेश में कोई लिपिकीय त्रुटि अथवा गणतीय त्रुटि पाई जाती है तो धारा 152 जा0दी0 के माध्यम से दुरूस्त की जा सकती है परन्तु इस प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.2010 में पूर्णतया संशोधन कर संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 को पारित की गई है जो धारा 152 जा0दी0 की मंशा के विपरीत है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ं।

12. उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 निरस्त योग्य एवं वादिया द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 दिनांक 11.5.2011 निरस्त योग्य पाया जाता है ।

13. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.8.2011 निरस्त एवं अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 दिनांक 15.5.2011 निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 24.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर